कार्यालय नगर परिषद, सवाई माधोपुर–राज0

क्रमांक / न.प.स.मा. / इ.र.यो / 2020–21 / 7078 दिनांक: 15/10/2020

–:अभिरूचि की अभिव्यक्ति:–
(Expression of Interest-Eoi) का आमंत्रण

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के संकल्प कोई भूखा ना सोये को साकार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायो में इन्दिरा रसोई योजना दिनांक 20.08.2020 से शुरू की जा चुकी है। योजना के संचालन का मूल उद्धेश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवाभाव के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यवसायिक हित के स्थान पर सेवाभाव के आधार पर कार्य करने के इच्छुक प्रतिष्ठित गैर शासकीय / धार्मिक / स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था / सहकारी संस्था / फर्म / कॉर्पोरेट / स्थानीय / स्वयं सहायता समूह / क्षेत्र स्तरीय संघ / नगर स्तरीय संघ को रसोईयो के संचालन हेतु नगरीय निकाय क्षेत्र सवाई माधोपुर में सूचीबद्ध (Empanel) एवं चयन करने हेतु दिनांक 23.10.2020 समय दोपहर 12.00 बजे तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रित की जाती है।
नगर परिषद सवाई माधोपुर में रसोईयो की संख्या विस्तृत विवरण EoI में उपलब्ध है। प्रत्येक रसोई हेतु आवेदन पत्र अलग अलग प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक कार्यालय नगर परिषद सवाई माधोपुर में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) तथा योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश (गाईडलाईन) / आवेदन पत्र वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in, www.cmar-india.org से प्राप्त / डाउनलोड की जा सकती है।

(रविन्द्र सिंह यादव)
आयुक्त, नगर परिषद सवाई माधोपुर
एवं पदेन सचिव, कोषाध्यक्ष

क्रमांक / न.प.स.मा. / इ.र.यो / 2020–21 / 7079 – 99 दिनांक: 15/10/2020

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति का प्रकाशन नियमानुसार एक मुख्य राज्य स्तरीय एवं एक मुख्य क्षेत्रीय समाचार पत्र में आगामी अंक में यथा शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
2. श्रीमान् अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर महो0, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति सवाई माधोपुर।
3. श्रीमान् जिला रसद एवं खाद्य अधिकारी महोदय एवं पदेन सदस्य इन्दिरा रसोई योजना स0मा0।
4. श्रीमान् सचिव महो0 कृषि उपज मंडी एवं पदेन सदस्य इन्दिरा रसोई योजना स0मा0।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महो0 एवं पदेन सदस्य इन्दिरा रसोई योजना स0मा0।
6. श्रीमान् कोषाधिकारी महो0 एवं पदेन सदस्य इन्दिरा रसोई योजना स0मा0।
7. आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी एवं पदेन सदस्य इन्दिरा रसोई योजना स0मा0।
8. अधिशाषी अभियंता / लेखाधिकारी / राजस्व निरीक्षक / कनि0 सहा0 / च0श्रे0कर्म0 / नगर परिषद, सवाई माधोपुर।
9. लेखा शाखा / कैशियर नगर परिषद, सवाई माधोपुर।
10. श्री अमित शर्मा कम्प्यूटर ऑपरेटर इन्दिरा रसोई योजना नगर परिषद सवाई माधोपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड नगर परिषद / जिला कलेक्ट्रेट / सार्वजनिक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स0माधोपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(रविन्द्र सिंह यादव)
आयुक्त, नगर परिषद सवाई माधोपुर
एवं पदेन सचिव, कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद, सवाई माधोपुर–राज०

इन्दिरा रसोई योजना
(INDIRA RASOI YOJANA)

के तहत स्थायी रसोईयो के संचालन हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयं सेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को सूचीबद्ध **(Empanel)** एवं चयन करने हेतु ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expressions of Interest-Eoi) का आमंत्रण।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति को नगर परिषद सवाई माधोपुर में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 23.10.2020 समय दोपहर 12.00 बजे तक।

(रविन्द्र सिंह यादव)
आयुक्त, नगर परिषद सवाई माधोपुर
एवं पदेन सचिव, कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद, सवाई माधोपुर–राज0

इन्दिरा रसोई योजना अन्तर्गत स्थायी रसोई के संचालन हेतु नगर परिषद सवाई माधोपुर में कार्यकारी संस्थाओ को सूचीबद्ध (Empanel) व चयन करने हेतु

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest-Eoi) का आमंत्रण

1. **परिचय–** माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोई भूखा ना सोये के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढाते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रो में इन्दिरा रसोई योजना की शुरूआत की है। योजनान्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र सवाई माधोपुर में तीन रसोईयों की शुरूआत की गई है। जिनमें (1) आश्रय स्थल, खंडार बस स्टेण्ड शहर सवाई माधोपुर, (2) सामान्य चिकित्सालय परिसर में स्थित धर्मशाला, सवाई माधोपुर, (3) आश्रय स्थल नगर परिषद मानटाउन सवाई माधोपुर, में संचालित है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगो की दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को रूपये 8/– रूपये प्रति थाली की दर दोपहर एवं 8/– रूपये प्रति थाली की दर से रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2. **मुख्य नियम व शर्ते–** संस्था के सूचीबद्ध व चयन करने उनके कार्य व दायित्व तथा इसके लिये उनको भुगतान आदि से संबंधित नियम/शर्ते निम्नानुसार हैः–
   1. इन्दिरा रसोई के संचालन का उद्धेश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवा आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यवसायिक हित को मूल आधार ना मानते हुए केवल सेवाभाव के आधार पर ही आवेदन किया जाना अपेक्षित है।
   2. इच्छुक आवेदक प्रत्येक रसोई हेतु पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ अ में नगर परिषद सवाई माधोपुर में प्रस्तुत करेगा।
   3. नगर परिषद सवाई माधोपुर में रसोई संचालन हेतु संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जावेगा। रसोई के संचालन हेतु प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ आदि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
   4. चयनित संस्था का एमपेनलमेन्ट व चयन प्रथमतया 3 वर्ष तक के लिये किया जायेगा। जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकता है। संस्था की परफोरमेन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी संस्थाओ को भविष्य मे आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

5. संचालक संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापो के आधार पर किया जायेगा।
6. चयनित संचालक संस्था को किसी भी परिस्थिति में अन्य संस्था को Sub-Contract Partnership में कार्य आवंटित करने का अधिकार नही होगा। ऐसी स्थिति मे संचालक का संस्था चयन निरस्त किया जा सकेगा।
7. चयनित संचालक संस्था द्वारा चयन के अधिकतम तीन दिवस में नगर परिषद सवाई माधोपुर के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ स में रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध (Agreement) अनिवार्य रूप से करना होगा, अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. प्रत्येक रसोई हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा।
9. रसोईयो के संचालन हेतु भुगतान नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा संचालक संस्था को दिये गये कार्यादेश में वर्णित दरो के अनुबन्ध किया जावेगा।
10. चयनित संस्था को कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ किया जाना अनिवार्य होगा। संस्था को आवंटित कार्यादेश की समय पर पालना नही करने की स्थिति में या किसी भी अन्य कारण से संस्था का चयन निरस्त होने या किसी संस्था द्वारा कार्य छोडने पर एम्पेनलमेन्ट में उससे कम वरीयता वाले संस्था को कार्य आवंटित किया जा सकेगा।

3. **प्रतिभूति (Security)**– आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक रसोई हेतु निम्नानुसार राशि का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

1. नगर परिषद सवाई माधोपुर की प्रत्येक रसोई हेतु प्रतिभूति राशि– 10000/– रूपये

उपरोक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर के पक्ष मे होना चाहिए। चयन प्रकिया पूर्ण होने पर असफल आवेदको (एम्पेलमेन्ट हेतु चयन नही होने पर) को प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जायेगी तथा एम्पेलमेन्ट में सम्मिलित संस्थाओ की यह राशि एमपैलमेन्ट/चयन अवधि समाप्त होने पर लौटायी जायेगी।
यदि कोई संस्था राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि नही लेने का प्रस्ताव देती है (स्वयं के स्तर से वहन करती है) तो उससे प्रतिभूति नही ली जायेगी।

4. **अनिवार्य योग्यता (Eligibility Criteria)**– आवेदन करने वाली संस्था एम्पेनल एवं चयन हेतु निम्नानुसार योग्यता होना आवश्यक है–

1. आवेदन करने वाली संस्था का पंजीयन किसी भी एक राजकीय संस्था में निम्न अधिनियम के तहत होना आवश्यक है यथा देवस्थान ट्रस्ट एक्ट 1882 में पंजीयन कार्पोरेटिव एक्ट 1958 में पंजीयन कम्पनी एक्ट 2013 में पंजीयन, साझेदारी एक्ट 1932 में पंजीयन भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में पंजीयन।
2. संस्था को पेन न0 की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. संस्था को जीएसटी न0 की प्रति संलग्न करनी होगी यदि जीएसटी में पंजीयन नही है तो कार्यादेश में वर्णित दर के

Scanned with CamScanner

अनुसार प्रतिवर्ष की अनुमानित लागत के आधार पर जीएसटी प्रावधान लागू होने पर संस्था को नियमानुसार जीएसटी पंजीयन करवाना होगा।

5. **संस्था का चयन प्रकिया–** प्राप्त प्रस्तावो का परीक्षण कर उसकी सक्षमता, कार्यानुभव सेवाभाव एवं कार्यकलापो के आधार पर निम्नानुसार कम में वरीयता देते हुए Empanel एवं चयन किया जायेगा–

1. प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओ को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय संस्थाओ के एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. ऐसी संस्था जो पूर्व में ही रसोई संचालित कर रही है वे भी योजना से जुड सकती है। उन्हे अपनी रसोई में इन्दिरा रसोई योजना का लोगो प्रदर्शित करना होगा। साथ ही योजना के दिशा–निर्देशो के अनुरूप कार्य करना होगा।

उपरोक्त वरीयता में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक संस्था की वित्तिय स्थिति, कार्यानुभव, कार्यक्षमता इत्यादि के आधार पर चयन हेतु जिला स्तरीय समिति अधिकृत होगी।

3. **चयन समिति–** प्राप्त आवेदन पत्रो में से संचालक संस्था का चयन गाईडलाईन के अनुसार गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा।

4. **विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली रसोई एवं संसाधन–**

1. **स्थान–** नगर परिषद सवाई माधोपुर में इन्दिरा रसोई के स्थान निम्नांकित है– (1) आश्रय स्थल, खंडार बस स्टेण्ड शहर सवाई माधोपुर, (2) सामान्य चिकित्सालय परिसर में स्थित धर्मशाला, सवाई माधोपुर, (3) आश्रय स्थल नगर परिषद मानटाउन सवाई माधोपुर।
2. **आधारभूत व्यय–** प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित आधारभूत संसाधन नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे– (I) भवन की एकरूपता साज–सज्जा (II) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (III) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस–चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भटटी, चिमनी, वाटर कूलर–आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राईण्डर, आटा गुथने की मशीन, (IV) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम (V) टेबल कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (VI) सैनिटाईजर एवं मास्क (VII) कार्मिको का यूनिफॉर्म एवं जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। उपरोक्त संसाधनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं संचालक की होगी।
3. **आवर्ती व्यय–** प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित संसाधन पर होने वाला आवृत्ति व्यय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा– (I) पेयजल, इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलो का भुगतान (II) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (III) सैनिटाईजर एवं मास्क (IV) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं केटरिंग सामान का रिप्लेसमेन्ट (V) सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन किराया जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की अनुशंषा

Scanned with CamScanner

पर रसोई के सुचारू संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।

5. **खाने की संख्या**— रसोई संचालन के प्रथम वर्ष नगर परिषद में प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर दिया जायेगा। अर्थात 300 थाली प्रतिदिन दिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:—
   1. किसी रसोई में लंच व डिनर मिलाकर अधिकतम निर्धारित सीमा में गिना जा सकेगा अर्थात यदि लंच कम है और डिनर अधिक है तो आपस में उन्हे समायोजित किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय समिति की अनुशंषा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संस्था द्वारा लाभार्थी को बैठकार भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।
   2. यदि किसी रसोई में किसी दिवस में लंच व डिनर में निर्धारित थाली से कम या अधिक थाली वितरित होती है। तो उनका समायोजन संबंधित माह की कुल निर्धारित सीमा में किया जा सकता है।
   3. इसी प्रकार यदि किसी रसोई में यदि किसी माह में मासिक सीमा से अधिक थालियों का वितरण हो रहा है तो ऐसे माहों की कमी या अधिक थालियों का समायोजन वार्षिक सीमा के अनुसार किया जा सकेगा।
   4. लाभार्थियों की मांग के अनुसार दो कूपन की राशि प्राप्त कर दो थाली (1+1) भोजन दिया जा सकेगा।

6. **मैन्यू**— योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं अचार सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार दिया जायेगा। जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति को भोजन के मैन्यू में स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्वाद के अनुरूप परिवर्तन करने का भी अधिकार है। साथ ही इन्दिरा रसोई संचालक द्वारा भोजन में स्थानीय स्वाद अनुसार गैंहू की चपाती के स्थान पर मक्का—बाजरे की रोटी भी दी जा सकती है।

7. सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8.30 बजे से मध्यान्ह 2.00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सांय 5.00 बजे से 8.00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु जिला स्तरीय समिति अपने स्तर पर समय में परिवर्तन कर सकेगी। सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

8. जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति स्थानीय स्वादानुसार भोजन का मैन्यू निर्धारित करेगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन मैन्यू भी स्थानीय स्वादानुसार समिति द्वारा निर्धारण किया जायेगा।

9. लाभार्थी से ली जाने वाली राशि एवं देय अनुदान राशिः
   1. लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8/— रूपये प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8/— रूपये प्रति थाली लिये जायेंगे।
   2. राज्य सरकार द्वारा दोपहर भोजन हेतु प्रति थाली 12 रूपये एवं रात्रिकालीन हेतु प्रति थाली 12 रूपये की राशि अनुदान के रूप में संबंधित संस्था को दी जायेगी। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

3. **यदि कोई संस्था अनुदान राशि नही लेने का प्रस्ताव देती है तो प्रस्ताव युक्तियुक्त पाये जाने की स्थिति में उस पर EoI में वर्णित वरीयता के अनुसार विचार किया जायेगा। इस संबंध में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।**

10. **दान व सहभागिता—** इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इन्दिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थान से सीएसआर फण्ड से सहयोग हेतु प्रयास करेंगे तथा इन संस्थानो से एक या अधिक इन्दिरा रसोई के सम्पूर्ण का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व दे सकते है। रसोई में विभिन्न दानदाताओ द्वारा अपने परिजनो की वर्षगांठ, जन्मदिवस या किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनो समय का भोजन प्रायोजित कर सकते है, भोजन के लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। आगंतुको के लिये प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आशय का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर संबंधित संस्था द्वारा किया जा सकेगा कि ''आज का भोजन श्री .... द्वारा .... कारण से प्रायोजित है।'' प्रायोजक व्यक्ति द्वारा लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जायेगा। भोजन प्रायोजित करने वाले व्यक्ति को उचित मान–सम्मान दिया जायेगा ताकि अन्य व्यक्तियो को प्रोत्साहित कर सके। रसोई संचालित करने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी से भी रसोई प्रयोजनार्थ दान/सहयोग नही लिया जायेगा। परन्तु ऐसी संस्थाये सीधे रूप से दान एवं जनसहयोग की राशि ले सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर अपने स्तर से योजना के मापदण्डो के अनुसार कार्य करेगी।

11. **भुगतान प्रक्रिया—** योजना के दिशा–निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

12. **संस्था की भूमिका एवं दायित्व—** जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति से चयनित संस्था रसोई के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। चयनित संस्था, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एंव निर्देशन में कार्य करेगी। संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति, संबंधित निकाय व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशो की अक्षरशः पालना करनी होगी। संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे–

1. संस्था द्वारा लाभार्थियो को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बिठाकर उपलब्ध करया जावेगा।
2. संस्था द्वारा भोजन बनाने हेतु रसद व अन्य सामग्री यथा आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले इत्यादि स्वयं के खर्च पर क्रय किये जायेंगे। स्थानीय निकाय द्वारा बिल प्राप्त होने पर केवल अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

3. संस्था द्वारा भोजन बनाने व वितरण करने से संबंधित कार्य तथा केन्द्र को साफ सुथरा रखने के लिये आवश्यक कार्मिक एवं साधनो की व्यवस्था की जावेगी।
4. संस्था द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित कार्य हेतु लगाये गये कार्मिको का वेतन भुगतान एवं आधारभूत/आवृत्ति संसाधनो के अतिरिक्त उपयोग मे लिये जा रहे साधनो का क्रय भी स्वयं के स्तर पर किया जावेगा।
5. भोजन व्यवस्था के लिये लगने वाले ईंधन/गैस की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जावेगी।
6. संस्था को जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की सलाह से सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिये स्थानीय स्वादानुसार मैन्यू, मूल्य एवं समय का विवरण रसोई के आसपास सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
7. रसद एवं अन्य सामग्री तथा रसोई पर हो रहे आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा, जो कम्प्यूटरीकृत होगा। यह समस्त जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी। जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी संस्थाको दिये गये अनुदान की जांच कर सकेगी।
8. लाभार्थियो से भोजन हेतु राशि नगद के अलावा ऑनलाईन यथा पेटीएम, फोनपे इत्यादि के माध्यम से भी ली जा सकेगी।
9. लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल न0 अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात् कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात् ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। भोजन प्राप्त करने के लिये लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नही लिया जायेगा।
10. लाभार्थी से दोपहर का भोजन 8/— रूपये प्रति थाली एवं रात्रि का भोजन की निर्धारित राशि 8/— रूपये प्रति थाली ली जावेगी।
11. संस्था द्वारा वितरित भोजन की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु मासिक बिल संबंधित नगर निकाय को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। संस्था नगर निकाय से बिलो को प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निगम/परिषद को आहरण वितरण अधिकारी को भिजवाने में सहयोग करेगा।
12. संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो रसोई पर नियत समय सीमा में भोजन के लिये आ रहा है तो वह बिना भोजन के वापिस नही जावे।
13. प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण एवं सैनिटाईजर आदि रखे जायेंगे।
14. रसोई संचालन नियमित रूप से करना होगा। अपरिहार्य स्थिति में रसोई संचालन नही कर पाने की स्थिति में संबंधित नगर निकाय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
15. आधारभूत मद से उपलब्ध कराये गये आधारभूत संसाधनो की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय करना होगा।

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनो को संबंधित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।

16. कार्यकारी संस्था को योजना से संबंधित विवरण एवं लोगो डिस्पले बोर्ड पर साईन बोर्ड के माध्यम से रसोई के बाहर एवं अन्दर प्रदर्शित करना होगा।

16. **मॉनिटरिंग व्यवस्था–** योजना के दिशा–निर्देशानुसार मॉनिटरिंग की जावेगी।

17. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में होने पर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

18. **आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश–** आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरकर इसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर नगर परिषद सवाई माधोपुर में जमा कराना होगा–

1. आवेदन पत्र सहित
2. प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट "आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर " का नाम के पक्ष में देय होगा।
3. EoI की प्रति (प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की मोहर)
4. संस्था के पंजीयन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
5. पेनकार्ड / जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रतिलिपि
6. अनुभव संबंधी दस्तावेज यदि उपलब्ध हो तो।

आवेदनकर्ता संस्था प्रधान के
हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ—अ

इन्दिरा रसोई योजना
(आवेदन पत्र)

(प्रत्येक रसोई के लिये अलग अलग आवेदन करे)

क्रस	विषय वस्तु	
1	नगरीय निकाय का नाम जिसकी रसोई हेतु आवेदन किया जा रहा है।	....
2	रसोई का कार्यक्षेत्र अथवा रसोई कमांक	....
3	आवेदक संस्था का नाम	....
4	आवेदक संस्था का प्रकार	....
5	संस्था प्रधान का नाम	....
6	संस्था के कार्यालय का सम्पूर्ण पता मय पिन कोड	....
7	संस्था का सम्पर्क सूत्र	टेलीफोन .... मोबाईल न0 ....
8	संस्था का ईमेल	....

क्रस	विषय वस्तु	विवरण	संलग्न दस्तावेज	प्रस्ताव पृष्ठ संख्या
9	संस्था का पंजीयन व संबधित दस्तावेज			
10	संस्था का पेन न0 व संबधित दस्तावेज			
11	संस्था का जीएसटी व संबंधित दस्तावेज			
12	संस्था के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक की प्रति संलग्न करे)			
13	प्रतिभूति राशि की विवरण व दस्तावेज			
14	संस्था के संबंधित कार्यक्षेत्र मे अनुभव का विवरण व संबंधित दस्तावेज			
15	यदि संस्था को किसी भी केन्द्र / राज्य सरकार की संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है अथवा नही (केवल हां या नही अंकित करे)			
16	संस्था रसोई का संचालन जिस भवन में करेगी उसका विवरण	केवल एक का ही चयन कर निर्धारित स्थान का विवरण:— ☐ संस्था का स्वयं का भवन ☐ संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन ☐ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन		
1	संस्था का स्वयं का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
2	संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
3	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन			
17	वित्तिय प्रस्ताव— यदि राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान लेना चाह रहे है अथवा नही (केवल हा / नही)			
18	EoI के समस्त पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की सील (संलग्न कर पृष्ठ कमांक अंकित करे)			

उपरोक्त वर्णित सूचना मेरे द्वारा पूर्ण सत्यता से भरी गई है। यदि भविष्य में उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पाई जाती है। तो मैं उसका पूर्ण जिम्मेदार रहूंगा।

आवेदनकर्ता संस्था प्रधान के
हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with CamScanner

प्रारूप

इन्दिरा रसोई योजना

अनुबन्ध (Agreement) संख्या .... /2020

आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर एवं द्वितीय पक्ष .... (संचालक संस्था का नाम व पता) के मध्य यह अनुबन्ध (Agreement) निष्पादित हुआ है। यह अनुबन्ध इन्दिरा रसोई योजना के तहत नगर परिषद सवाई माधोपुर में स्थापित रसोई .... (रसोई का स्थान मय पता) के संचालन संबंधी गतिविधियो के लिये संचालक संस्था के रूप में .... (फर्म का नाम) द्वारा सेवाये प्रदान करने के लिये सम्पादित किया गया है। इस संबंध में दोनो पक्ष सहमत है कि

(1) कार्य–

1. संचालक संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन, ईओआई, कार्यादेश व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये/जाने वाले निर्देशो के अनुरूप संचालक संस्था के रूप में सेवाये प्रदान करेंगी।
2. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के रसोई आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल न0 अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात् कूपन जारी किये जायेंगे। तत्पश्चात् ही भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। संचालक संस्था द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिये लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नही लिया जायेगा।

(2) समयावधि–

1. कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष हेतु अनुबन्ध प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।
2. अनुबन्ध अवधि के संबंध में अन्य कार्यवाही गाईडलाईन एवं ईओआई में वर्णित दिशा निर्देशो/शर्तो के अनुसार की जावेगी।
3. संस्था की परफोरमेन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, ऐसी संस्थाओ को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

(3) भुगतान–

1. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8/– रूपये प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8/– रूपये प्रति थाली लिये जायेंगे।
2. संचालक संस्था को कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार वितरित किये गये दोपहर एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रति थाली अनुदान राशि दी जायेगी। नियमानुसार जी.एसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

3. संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलो को नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणीकरण के आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित ईकाईयां होगी।

(4) सब कॉन्ट्रेक्ट व पार्टनर शिप— संचालक संस्था को आवंटित कार्य या उसका कोई भी हिस्सा किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा किसी अन्य संस्था को Sub Contract and Partnership पर नही दिया जायेगा।

(5) अनुबन्ध के लिये विधि— यह अनुबन्ध भारत तथा राजस्थान राज्य की विधि (Law) के तहत कियान्वित किया जायेगा। सभी विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

(6) क्षतिपूर्ति— आधारभूत मद से उपलब्ध करायी गये आधारभूत संसाधनो की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्य कर उपलब्ध कराना होगा। संचालक संस्था द्वारा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनो को नगर परिषद को लौटाने होंगे।

(7) वाद विवाद— अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद होने की स्थिति में संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी ईओआई तथा योजना के राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति द्वारा निपटारा किया जायेगा।

(8) अनुबन्ध का भाग— संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश, विभाग के आदेश एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र. यो./20/3704 दिनांक 02.08.2020 द्वारा योजना की जारी की गई गाईडलाईन (यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी ईओआई अनुबन्ध के भाग होंगे।

नगर परिषद की ओर से

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

गवाह

1 ....

2 ....

संचालक संस्था की ओर से

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

गवाह

1 ....

2 ....

(रविन्द्र सिंह यादव)
आयुक्त, नगर परिषद सवाई माधोपुर
एवं पदेन सचिव, कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner